न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 119/2022

1. बिहारीलाल पुत्र श्री गुलाराम जाति मेघवाल निवासी हंसासरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. सुगनाराम पुत्र श्री गुलाराम जाति मेघवाल निवासी हंसासरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

आवेदकगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनू।

अनावेदक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी – मोहम्मद रशीद खान
वकील अप्रार्थी –

निर्णय

दिनांक 17.10.2023

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम हंसासरी पटवार हल्का लूणा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 499/80 रकबा 0.57 है0, ख0न0 501/62 रकबा 2.20 है0, ख0न0 78 रकबा 0.09 है0, ख0न0 79 रकबा 0.04 है0, ख0न0 62 रकबा 2.18 है0, ख0न0 80 रकबा 0.71 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 5.79 है0 भूमि अवस्थित है जो प्रार्थीगण की विरासत में प्राप्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। इसी प्रकार वाके ग्राम हंसासरी में ख0न0 556/368 रकबा 1.00 है0 गै0मु0 पंचायत तथा ख0न0 368 रकबा 4.28 है0 किस्म बंजर भूमि अवस्थित है। प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने हेतु ख0न0 368 बंजड़ भूमि जिसके वर्तमान ख0न0 582/577 में से आते जाते रहे है। दिनांक 27.08.2020 को जिला कलक्टर महोदय झुन्झुनू द्वारा ख0न0 368 में से 1.00 है0 भूमि ग्राम पंचायत को पंचायत भवन हेतु आवंटित कर दी जो जरिये नामामन्तरकरण संख्या 666 दिनांक 08.10.2020 से ग्राम पंचायत के नाम दर्ज हो गई। प्रार्थीगण जिस रास्ते से अपने खेत में आते जाते रहे है, वह रास्ता भी ग्राम पंचायत को आवंटित भूमि में सम्मिलित हो जाने से प्रार्थीगण का अपने खेत में जाने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया। प्रार्थीगण की ओर से अपनी पुश्तेनी भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की मांग किये जाने पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा 10 फुट रास्ता पूर्व से पश्चिम उत्तर दिशा में प्रार्थीगण के लिये छोड़ने का आदेश दिया गया। उक्त रास्ते का प्रार्थीगण अब हंसासरी से धनूरी सड़क तक कटानी में दर्ज करवाकर मिलाना चाहते है। प्रार्थीगण को आपने घर से अपने खेत में आने जाने हेतु यह एकमात्र रास्ता है जिसे ख0न0 582/557 के उत्तरी पूर्वी कोने में 20 फीट चौड़ा तथा ख0न0 579/556 में छोडा गया 10 फीट रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है। अन्त में प्रार्थीगण को जमीन जैर बहस में आने–जाने के लिये ख0न0 582/557 के उत्तरी पूर्वी कोने में 20 फीट चौड़ा व 579/556 छोड़ा गया 10 फीट रास्ता कटानी दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार मलसीसर ने अपने पत्रांक 1575 दिनांक 18.08.2023 से अपनी जांच रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार जमीन जैर बहस में पहुंच के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। आवेदक द्वारा चाहा गया मार्ग लघुतम है तथा रास्ता दिया जाना उचित बताया है।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता आवेदक सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये राजकीय भूमि ख0न0 579/556 में छोड़ा गया 10

फीट चौड़ा रास्ता तथा ख0न0 582/557 के उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे हंसासरी से धनूरी जाने वाली सड़क तक 20 फीट चौड़ा चाहा गया रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज कर दिलवाये जाने का निवेदन किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदकगण द्वारा अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने जाने हेतु बंजड़ राजकीय भूमि से रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मलसीसर ने चाहा गया रास्ता लघुतम होने एवं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से रास्ता दिया जाना उचित बताया है। आवेदक की भूमि में जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसकी पुष्टि तहसीलदार मलसीसर की जांच रिपोर्ट से होती है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। आवेदक को खेत खसरा नम्बर 499/80, 501/62, 78, 79, 80, 62 में आने–जाने के लिये बंजड़ राजकीय भूमि ख0न0 579/556 में छोड़ा गया 10 फीट चौड़ा रास्ता तथा ख0न0 582/557 के उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे हंसासरी से धनूरी जाने वाली सड़क तक 20 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दोगुना दर से राशि आवेदकगण से वसूल कर राजकोष में जमा करावें। तदनुसार राशि जमा होने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/10/23

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर